भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *1.

दिनांक 02.02.2021/ 13 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

'अम्फन' चक्रवात के कारण हुआ नुकसान

†*1. श्री भोला सिंहः
श्री विनोद कुमार सोनकरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'अम्फन' नामक एक भारी चक्रवात ने देश को बुरी तरह प्रभावित किया था और यदि हां, तो राज्य-वार हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रभावित राज्यों द्वारा मांगी गई राहत और सरकार द्वारा किसानों और मछुआरों को प्रदत्त सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अवसंरचना की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास संबंधी कार्य करने हेतु इन राज्य सरकारों द्वारा धनराशि के उपयोग की प्रगति धीमी रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या इन राज्यों में चक्रवात के कारण बारंबार उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए किसी प्रत्यास्थी अवसंरचना का निर्माण किये जाने की तत्काल आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है

लो.स.ता.प्र.सं. 01

'अम्फन चक्रवात के कारण हुआ नुकसान' के संबंध में दिनांक 02 फरवरी, 2021 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी, हां। 20 मई, 2020 को एक सुपर चक्रवाती तूफान 'अम्फन' देश के पूर्वी तट से टकराया था, जिसमें दो राज्य नामतः ओडिशा और पश्चिम बंगाल प्रभावित हुए है। प्रभावित राज्य सरकारों से प्राप्त हुई सूचना और अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ रिपोर्ट की गई क्षति/नुकसान के ब्यौरे निम्नानुसार दिए गए हैं:-

राज्य	मानव जीवन की क्षति	क्षतिग्रस्त घर/झोपड़ियां (लाख में)	पशुधन की क्षति	प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हेक्टे. में)	मछुआरों की क्षतिग्रस्त नौकाएं और जाल
ओडिशा-चक्रवात 'अम्फन'	0	0.49	38	0.11	28 नौकाएं
पश्चिम बंगाल-चक्रवात 'अम्फन'	99	5.52	23927	5.71	8007 नौकाएं और 37711 जाल

(ख): इन मामलों में राज्यों के प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए, केंद्र सरकार ने तत्काल 23 मई, 2020 को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से 'खाते के आधार पर' पश्चिम बंगाल सरकार को 1000 करोड़ रु. और ओडिशा सरकार को 500 करोड़ रु. जारी किए थे। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की राज्य सरकारों से ज्ञापन प्राप्त होने से पहले ही, दो अलग-अलग आईएमसीटी गठित कर ली गई थी, जिन्होंने नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए संबंधित राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

किसानों और मछुआरों की सहायता सहित चक्रवात से हुए नुकसानों के लिए राहत और पुनर्वास संबंधी कार्य हेतु पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकारों ने क्रमशः 35,018.39 करोड़ रु. और 201.96 करोड़ रु. की सहायता के लिए अनुरोध किया था। आईएमसीटी की रिपोर्ट और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति (एससी-एनईसी) की सिफारिशों के आधार पर, उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) ने एनडीआरएफ से पश्चिम बंगाल को 2,707.77 करोड़ रु. (कृषि के लिए 665.94 करोड़ रु. और मत्स्यन क्षेत्र के लिए 73.29 करोड़ रु. सहित) और ओडिशा को 128.23 करोड़ रु. (कृषि के लिए 4.64 करोड़ रु. और मत्स्यन क्षेत्र के लिए 0.01 करोड़ रु. सहित) की एक राशि का अनुमोदन उनके एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 50% का समायोजन करने की शर्त के साथ किया है।

(ग) और (घ): राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के उपयोग संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रभावित क्षेत्र में एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से खर्च मदों और मानदंडों के अनुसार करने और खर्च की निगरानी

करने के लिए संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) जिम्मेवार होती है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरआफ के गठन और प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर राज्य सरकार द्वारा विशेष उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) और (च): राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना (एनसीआरएमपी) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित आठ तटीय राज्यों में पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना करने और उसे वहां शुरू करने के साथ-साथ बड़ी अवसंरचना जैसेकि बहु-उद्देश्यीय चक्रवात शेल्टर, संपर्क सड़कों, सेलाइन इम्बेंकमेंट आदि के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के अंर्तगत पूरी की गई परियोजनाएं चक्रवातों के दौरान काफी मददगार सिद्ध हुई हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों से आपदा प्रबंधन की पद्धतियों, तैयारी, रोकथाम और कार्रवाई तंत्र में पर्याप्त सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप देश में चक्रवातों सहित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हताहतों की संख्या में पर्याप्त कमी आई है। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना शासन की एक निरंतर और सतत विकसित होने वाली प्रक्रिया है।

******